

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या: 14/2023

निर्णय दिनांक: 09.02.2024

उनवान

1. काजल भंडारी पत्नी अमित भंडारी, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 80, ऊषा कॉलोनी, कैलगिरी हॉस्पिटल के सामने, मालवीय नगर, जयपुर।

वादिया

बनाम


1. सुमन देवी पत्नी कैलाश चन्द, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादिया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने वादिया अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादिया द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, वादिया उक्त भूमि की सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है। बहस वादिया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादिया का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 19.04.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 08.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया। दिनांक 17.08.2023 को वादिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया। दिनांक 07.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 खारिज किया गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भूअ./डिक्री/2023/574 दिनांक 24.01.2024 संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। वकील वादिया ने कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई। वादिया अधिवक्ता



प्रति प्रमाणित
 नकल शाखा
 उपखण्ड अधिकारी
 द्वितीय (सांगानेर)
 ति सही मिलाज की
 स्साक्षर लिपिक

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अंकित किया है कि वादिया ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया कर दिया गया है. वादिया के स्थान पर वर्तमान में दीपक कुमार, परवीन पत्नी मोहम्मद फारुख व मोहम्मद फारुक जमाबन्दी में खातेदार है, आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 के अनुसार जो हित वादिया के निहित है वही क्रेताओं पर लागू होंगे, ऐसी स्थिति में जो हिस्सा वादिया को प्राप्त होना है, वही क्रेताओं को दिया जाना है, तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट में भी वादिया के स्थान पर क्रेताओं का मौका स्थिति अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है, जिसमें वादिया द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में वादिया का वाद मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
	90	0.2700	चाही 1		सुमन देवी पत्नी कैलाश चन्द हि. 1/6 जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 5/12 जाति सिन्धी, निवासी 2-ख-5, जवाहर नगर, मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल शकूर हि. 5/24, परवीन पत्नी मोहम्मद फारुख हि. 5/24 जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार
	किता-01	0.2700	चाही 1		

प्रस्तावित कुर्रजात इन्द्राज

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	90 मिन	0.2250	दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 1/2 जाति सिन्धी, निवासी 2-ख-5, जवाहर नगर, मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल शकूर हि. 1/4, परवीन पत्नी मोहम्मद फारुख हि. 1/4 जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार	चाही 1
	किता-01	0.2250		

गटो प्रति प्रमाणित

आरी नकल शाखा
उपखण्ड अधिकारी
पुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रति सहो मिलान की
हस्ताक्षर लिपिक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

2	90 गिन	0.0450	सुमन देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार	घाही 1
	किता-01	0.0450		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

फोटो प्रति प्रमाणित
प्रभारी नकल शाखा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फोटो प्रति सहो मिलान की
हस्ताक्षर लिपिक



अन्तिम डिक्री मुकदमा इक्टदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर मुकाम जयपुर व
इजलास महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 14 / 2023

- काजल भंडारी, पत्नी अमित भंडारी, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 20, ऊषा
कॉलोनी, कैलगिरी हॉस्पिटल के सामने, मालवीय नगर, जयपुर।

वादिया

वनाम

- सुमन देवी पत्नी कैलाश चन्द, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा
वास सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- विभाजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला
जयपुर।

प्रतिवादीगण

वादा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी,
द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादिया मिन जानिव मुदई रुबरु मिन
मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः
वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, कुल
किता 1 रकबा 0.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा वास सांगानेर, पटवार
हल्का शिकारपुरा, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर,
जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त
कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमावन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	90	0.2700			सुमन देवी पत्नी कैलाश चन्द हि. 1/6 जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार, दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 5/12 जाति सिन्धी, निवासी 2-ख-5, जवाहर नगर, मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल शकूर हि. 5/24, परवीन पत्नी मोहम्मद फारुख हि. 5/24 जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार
	किता-01	0.2700			

प्रति प्रमाणित

श्री नकल शाखा

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

प्रति सहो मिलान की
हस्ताक्षर लिपिक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रजात इन्दाज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	किरम
1	90 मिन	0.2250	दीपक कुमार मंगलानी पुत्र ईश्वरदास मंगलानी हि. 1/2 जाति सिन्धी, निवासी 2-ख-5, जवाहर नगर, मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल शकूर हि. 1/4, परवीन पत्नी मोहम्मद फारुख हि. 1/4 जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नम्बर 13, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, खातेदार	चाही 1
	किता-01	0.2250		
2	90 मिन	0.0450	सुगन देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार	चाही 1
	किता-01	0.0450		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2024 को



दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
अहिदा
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

फोटो प्रति प्रमाणित
प्रगारी मकल शाखा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फोटो प्रति सही मिलान की
हस्ताक्षर लिपिक

